13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4393 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-10-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2011-12

शिवचरण आत्मज श्री गोर्वधन
कृषक ग्राम बगोनिया, निवासी कुम्हारपुरा
शाहजहादबाद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. गोवर्धन आत्मज स्व. श्री रामचंद,
   निवासी ग्राम बगोनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.
2. बाफूलाल आत्मज स्व. श्री रामकिशन (मृत)
   निवासी ग्राम बगोनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री अवधेश सैनी, अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 गोवर्धन द्वारा खसरा वर्ष 85 लगायत 90 में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 16-8-2011 को प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1980-81 तक अनावेदकगण के नाम दर्ज थी और वर्ष 85-86 में भूमि का बटान किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक एवं अनावेदक के नाम बिना किसी आदेश के दर्ज

कर दी गई है । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अपील/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के किसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर, खसरे में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और खसरे में हुई प्रविष्टि को निरस्त करने का अधिकार संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत तहसीलदार को है । अत: यह अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9-12-2011 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23-4-2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1643-पीबीआर/12 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25-5-16 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अनावेदक क्रमांक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित प्रकरण में अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 96/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12-5-16 के विरूद्ध एक अन्य अपील क्रमांक 140/अपील/15-16 गोवर्धन विरूद्ध शिवचरण पृथक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा दोनों अपील प्रकरणों में वाद बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के आधार पर दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा दोनों अपील प्रकरणों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 4529/2017 प्रस्तुत किये जाने एवं अनावेदक द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए बार-बार अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19-9-17 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर उक्त दोनों अपील प्रकरणो की सुनवाई एकसाथ किये जाने के आदेश दिये गये । अनावेदक पक्ष की ओर से व्यहवार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-10-17 को आदेश पारित

कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 का आवेदन पत्र निरस्त कर अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 बाफूलाल की मृत्यु किस दिनांक को हुई, इस संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई सही जानकारी नहीं दी गई है । उसके समर्थन में विलंब का कोई आवेदन पत्र भी नहीं दिया गया है, अत: उसकी गणना किया जाना संभव नहीं है । वास्तविकता यह है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकार की मृत्यु होने पर 90 दिवस के अंदर न्यायालय को सही जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए एवं वैधानिक वारिसों को प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही करना चाहिए । लेकिन उनके द्वारा न तो विलंब का सही कारण बताया गया है और न ही विलंब माफी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । यह भी कहा गया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र., माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया था, जिन पर ध्यान न देते हुए विवादित आदेश पारित कर दिया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी न्यायालय को जिसे कानून के अधीन किसी प्रकार से अधिकारिता प्राप्त है, प्रक्रिया के नियम उससे निहित नहीं कर सकते, प्रक्रियात्मक विध, मुख्य कानून की सदैव सेवक है, मालिक नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कपटपूर्वक उक्त तथ्यों को छिपाते हुए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है उक्त निर्णय आज्ञप्ति या आदेश कपट द्वारा प्राप्त किया गया । वह प्रथम न्यायालय है अथवा अंतिम न्यायालय है, उसे किसी भी न्यायालय में प्रतिक्षण, अपील, पुनरीक्षण, रिट क्षेत्राधिकार ण संपार्श्विक कार्यवाही में चुनौती दी जा सकेगी । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम बिना किसी स्वत्व एवं बिना सक्षम अधिकारी के दर्ज किया गया था, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील समयावधि में मानकर सुनवाई हेतु ग्राह्य करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर एवं इस न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखे गये हैं, अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से आवेदक का नाम

निरस्त कर, उसका नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 140/अपील/15-16 प्रस्तुत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपीलों में वाद बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रचलित होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपीलों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भूल नहीं की गई है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई स्थगन पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 बाफूलाल की मृत्यु की जानकारी होने के उपरांत भी आवेदक द्वारा उसे पक्षकार बनाया गया है, अत: यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 बाफूलाल सभी स्तरों पर पूर्व में पक्षकार रहा है, ऐसी स्थिति में उसके विधिक वारिसों को जानकारी दिनांक से अभिलेख पर लाने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर